भाग –III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मार्च, 2018

संख्या सा०का०आ० 22/संवि०/अनु०309/2018. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012, में परिशिष्ट ख में,–

(I) खाना 4 के नीचे, क्रम संख्या 3 के सामने, 'पदोन्नति द्वारा' शीर्ष के नीचे, मद् (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद् प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

"(ii) टी0जी0टी0 अंग्रेजी के रूप में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव;

या

टी0जी0टी0 सामाजिक अध्ययन की दशा में, दो वर्ष का अग्रेजी अध्यापन अनुभव;";

(II) खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 6 के सामने, मद् (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद् प्रतिस्थापित की जाएगी तथा दिनांक 28 सितम्बर, 2015 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:––

"(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित एम0ए0 राजनैतिक विज्ञान अथवा लोक प्रशासन और शिक्षा स्नातक (बी0एड0); ";

(III) खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 12 के सामने, मद् (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद् प्रतिस्थापित की जाएगी तथा दिनांक 12 फरवरी, 2015 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:––

"(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित एम0एस0सी0 भौतिकी/एप्लाईड भौतिकी /न्यूकलियर भौतिकी /इलैक्ट्रोनिक्स साईंस/इलैक्ट्रोनिक्स तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक (बी0एड0);"; तथा

(IV) टिप्पण (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा दिनांक 28 जून, 2015 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्;–

"(iii) सीधी भर्ती की दशा में, 'अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड' से अभिप्राय है, मैट्रिक/10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर जैसी भी स्थिति हो, किन्ही तीन परिक्षाओं में से 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार। तथापि, पी0जी0टी0 कम्पयूटर विज्ञान को छोड़कर, उम्मीदवार के स्नातकोत्तर में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए और पी0जी0टी0 कम्पयूटर विज्ञान की दशा में, उम्मीदवार के स्नातकोत्तर/स्नातक, जैसी भी स्थिति हो, में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए।" ।

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd March, 2018

No. G.S.R.-22/Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service Rules, 2012, namely : —

1. These rules may be called the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service Rules, 2012, in Appendix B,-

(I) under column 4, against serial number 3, under heading 'by promotion', for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) two years teaching experience as TGT English; or

In case of TGT Social Studies, two years' experience of teaching English;";

(II) under columns 3 and 4, against serial number 6, for item (i), the following item shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 28th September, 2015, namely:-

"(i) M.A. Political Science or Public Administration with at least 50% marks and B.Ed. from a recognized university;"; and

(III) under columns 3 and 4, against serial number 12, for item (i), the following item shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 12th February, 2015, namely:-

"(i) M.Sc. Physics/ Applied Physics/ Nuclear Physics/ Electronics Science/ Electronics with at least 50% marks and B.Ed. from a recognized university;"; and

(IV) for Note (iii), the following note shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 28th June, 2015, namely:-

"(iii) In case of direct recruitment 'Good Academic Record' means the candidate having 50% marks after taking average of any three examination from 10^{th} /12^{th}/Graduation/Post Graduation as the case may be. However, the candidate must have at least 50% marks in Post-Graduation except PGT Computer Science and in case of PGT Computer Science, the candidate must have at least 55% marks in Post-Graduation/Graduation as the case may be.".

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

56037—C.S.—H.G.P., Chd.